



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05012024-251175
CG-DL-E-05012024-251175

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 73]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 5, 2024/पौष 15, 1945

No. 73]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 5, 2024/PAUSHA 15, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2024

का.आ. 79(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार उक्त खंड के प्रयोजनार्थ, 'कर्मयोगी भारत', (पैन: AAJCK2949L), कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत निगमित एक कंपनी, जिसमें भारत के राष्ट्रपति यानी भारत सरकार के स्वामित्व वाला 100% इक्विटी शेयर है, को उक्त कंपनी को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, अर्थातः

- (क) सरकार/सरकारी निकायों से प्राप्त अनुदान/छूट;
- (ख) सदस्यता प्रभार/शुल्क, निर्धारण शुल्क, आनबोर्डिंग शुल्क;
- (ग) प्रपत्रों, सामग्रियों की बिक्री, स्क्रेप के निपटान और निविदा शुल्क से प्राप्तियां; और
- (घ) बैंकों और सरकारी प्रतिभूतियों और बांडों से अर्जित ब्याज।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि 'कर्मयोगी भारत'-

- (क) किसी वाणिज्यिक कार्यकलाप में शामिल नहीं होगी;
- (ख) कार्यकलापों और विशिष्ट आय की प्रकृति समस्त वित्तीय वर्षों के दौरान अपरिवर्तित रहेगी; और
- (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (4ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी फाइल करेगा।

3. यह अधिसूचना निर्धारण वर्षों 2024-2025, 2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 और 2028-2029 के लिए लागू होगी तथा क्रमशः वित्तीय वर्षों 2023-2024, 2024-2025, 2025, 2025-2026, 2026-2027 और 2027-2028 के लिए संगत होगी।

[अधिसूचना सं. 7/2024 फा. सं. 196/12/2023-आईटीए-1]

विकास सिंह, निदेशक, (आईटीए-1)